Vol. 2 November 2016

early scope

CECED'S NEWSLETTER

iecei Indian Early Childhood Education Impact Study

Special Edition

आकलन के लिए काम में लिए गए उपकरण

बच्चों के आकलन हेतु:

- शाला-पूर्व तैयारी के आकलन हेतु उपकरण- स्कूल रेडीनेस इंस्ट्रूमेंट (SRI)
- 6-8 वर्ष तक के बच्चों का उपलब्धि परीक्षण (अचीवमेंट टेस्ट)

कार्यक्रम के आकलन हेतु:

- अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्वालिटी असेसमेंट स्केल (ECEQAS)
- शिक्षकों के साक्षात्कार के लिए समय-सारणी

अन्य:

- घरों के सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्नावली
- साक्षात्कार हेतु समय-सारणी

* (आकलन में प्रयोग में लिए गए सभी उपकरण मानकीकरण की प्रक्रिया में हैं)

अंदर के पन्नों पर

4 साल के बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में रहकर प्राथमिक शालाओं तक का सफ़र अलग-अलग तरह से तय करते हैं.

(पृष्ट-2)

इंडियन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पैक्ट स्टडी: शुरुवात

दक्षिणी एशिया में अपनी तरह का पहला शोध

क्या पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव से गुजरना हर छह वर्ष से कम के बच्चे का अधिकार होना चाहिए? क्या यह अनुभव बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है? क्या अभिभावक और शाला पूर्व केंद्र औपचारिक शिक्षा की अवधारणा में इतने रमे हुए हैं कि बचपन की आरंभिक शिक्षा के मूल उद्देश्यों को अनदेखा किया जा रहा है? यह सारे सवाल नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों या बच्चों की देखभाल करने वालों के बीच होने वाले संवाद में शायद ही उभरकर सामने आते हैं. पूर्व प्राथमिक केन्द्रों की उपलब्धता और उनका पहुँच में होना, इन केन्द्रों की गुणवत्ता का बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव और इनके नियंत्रण के प्रति सरोकार कम नजर आते हैं. इसके अलावा अलग-अलग तरह के पूर्व प्राथमिक केन्द्रों में जाने वाले बच्चों की संख्या के बारे में किसी भी तरह की विश्वसनीय जानकारी या आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं.

वर्तमान में हमारे पास आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की राष्ट्रीय पालिसी (2013) मौजूद है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता से सम्बंधित निश्चित मानकों को परिभाषित करती है. इसके बावजूद गुणवत्ता के इन मानकों को लेकर कड़ा नियंत्रण न होने के कारण हर तरह के पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र, अलग-अलग तरह की सुविधाओं के साथ भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पनपते जा रहे हैं. चाहे आंगनवाड़ी हो या निजी पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र, दोनों में ही गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण बहुत कम है. इस सरोकार की वजह से यह जरुरी समझा गया कि बचपन के शुरुवाती वर्षों में बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध अवसरों का अनुभवजन्य आकलन किया जाए. और साथ ही देखा जाये कि पूर्व प्राथमिक वर्षों में अवसरों की उपलब्धता बच्चों को किस हद तक स्कूल के लिए तैयार करती है और प्राथमिक विद्यालय में जाने के बाद उनके सीखने के स्तर को किस तरह और किस हद तक प्रभावित करती है. साथ ही यह भी देखा गया कि गुणवत्ता के ऐसे कौन से कारक हैं जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता है.

और जनसंख्या की दृष्टि से विविधता लिए हुए तीन राज्यों असम, राजस्थान और तेलंगाना में संचालित हुआ. यह शोध 4 साल की उम्र के लगभग 13000 बच्चों के समूह की लगातार 5 साल तक जांच करता है. इस जांच के मुख्य बिंदु थे- पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी, इन केन्द्रों में 3-6 वर्ष तक के बच्चों की उपस्थिती, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों से लेकर बाद में प्राथमिक विद्यालयों तक में उनके अनुभवों की गुणवत्ता को समझना. इस शोध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था 5 साल तक के बच्चों की शाला पूर्व तैयारी का स्तर जानना और आगे 6-8 साल तक की अवस्था तक इस स्कूल की तैयारी का उनके सीखने समझने के स्तर पर प्रभाव का आकलन करना, और समझना कि इसका उनके पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभवों की गुणवत्ता और घर के वातावरण से किस तरह का सम्बन्ध है.

अत: इस शोध द्वारा आंगनवाड़ी, निजी पूर्व प्राथमिक केन्द्रों और अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा और आगे चल कर प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की विविधता की जांच-पड़ताल की गई. इसके साथ ही यह शोध गुणवत्ता के ऐसे अनिवार्य मानकों का पता लगाने का प्रयास करता है जो बच्चे के सीखने के स्तरों पर महत्वपूर्ण असर डालते हैं. यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने का प्रयास है कि क्या पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभवों की गुणवत्ता कक्षा 1 में प्रवेश के दौरान बच्चे की शाला की तैयारी के स्तर को प्रभावित करती है; और किस हद तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभवों का प्रभाव शुरुवाती प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे की शिक्षा और व्यवहार संबंधी परिणामों में बना रह पाता है.

अभिभावकों की अवधारणाएं और बच्चों के लिए मौजूद कार्यक्रमों की गुणवत्ता

(पृष्ट-3)

क्या बच्चे स्कूल के लिए तैयार हैं?

(पृष्ट-4)

इन्हीं सरोकारों की प्रतिक्रिया के तौर पर इंडियन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पैक्ट स्टडी (IECEI) शोध की शुरुवात 2010 में सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने असर केंद्र की सहभागिता से की. इस शोध के क्रियान्वयन में यूनिसेफ़ और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय और आंध्रप्रदेश शासन का सहयोग शामिल था. कई स्तरों वाला यह दीर्घकालिक अध्ययन भौगोलिक

4 साल तक के बच्चों का पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों के बाद प्राथमिक शालाओं तक का सफ़र-

इंडियन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पैक्ट स्टडी (IECEI) हेतु चुने गए राज्यों के दो-दो जिलों के 362 गांवों से एकत्रित डेटा यह दिखाता है कि शासन द्वारा संचालित आंगनवाड़ी और निजी विद्यालय ग्रामीण भारत के लगभग सभी इलाकों में समान रूप से फैले हुए हैं. एक महत्वपूर्ण बात जो इन सभी गांवों में देखी गई वह निजी विद्यालयों का विस्तार था, जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं मौजूद थीं. यह प्रचलन राजस्थान में अधिक व्यापक था, जहाँ 80% से अधिक गांवों में निजी विद्यालय मौजूद थे. जबकि असम और तेलंगाना के एक चौथाई गांवों में छोटे बच्चों के लिए निजी प्रावधान उपलब्ध थे. बहुत से बच्चे आस-पास के गांवों के निजी पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों में जाते थे.

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु-

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों की उपलब्धता अब मुद्दा नहीं है. अब समय है कि गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया जाए.
- असम और तेलंगाना में 4 साल की आयु के लगभग 95% बच्चे किसी न किसी शाला पूर्व कार्यमों में भागीदारी करते हैं.
- अध्ययन के सैंपल में शामिल एक तिहाई बच्चे किसी भी तरह के पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों में नहीं जाते थे.
- राजस्थान और तेलंगाना में कम आयु के बच्चे भी प्राथमिक स्कूलों में भागीदारी कर रहे थे.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE 2009) और राष्ट्रीय आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा नीति(National ECCE 2013) 3-6 साल की तक के बच्चों हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा और 6 साल की उम्र में प्राथमिक विद्यालय की अनुशंसा करते हैं. परन्तु डेटा से उभरने वाले पैटर्न यह दिखाते हैं कि बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों से प्राथमिक शाला तक का सफ़र अलग-अलग तरह से तय करते हैं. यह पाया गया कि शुरुवाती 6 साल की आयु तक किसी अकादमिक वर्ष के दौरान अक्सर बच्चे कई बार पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र बदल रहे होते हैं. कुछ पैटर्न इस प्रकार हैं:

- निजी केंद्र से सरकारी केंद्र और वापस निजी केन्द्रों में जाना (निजी-सरकारी-निजी)
- निजी केंद्र से किसी दूसरे निजी केंद्र और फिर सरकारी शिक्षा केंद्र में जाना (निजी-निजी-सरकारी)
- सरकारी शिक्षा केंद्र से किसी निजी और फिर सरकारी केंद्र में जाना (सरकारी-निजी-सरकारी)
- सरकारी शिक्षा केंद्र से दूसरे सरकारी और फिर निजी केंद्र में जाना (सरकारी-सरकारी-निजी)
- निजी केंद्र से किसी दूसरे निजी केंद्र और फिर किसी और निजी केंद्र में जाना (निजी-निजी-निजी)

हालाँकि, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये पैटर्न धुंधले पड़ते जाते हैं और बच्चों की शिक्षा केन्द्रों में भागीदारी भी बढ़ती दिखाई देती है. इसके अलावा भागीदारी के पैटर्न में भी अनियमितता दिखाई देती है; जैसे कुछ 8-10 साल की आयु के बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों पर थे, वहीं 4 साल की उम्र के कुछ बच्चे पहली कक्षा में नामांकित थे.

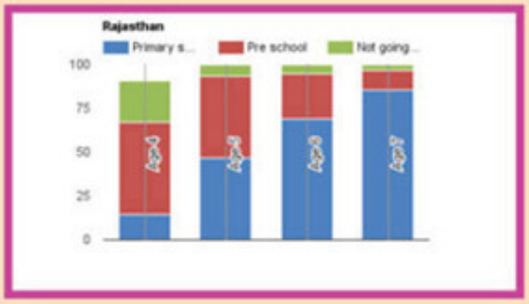

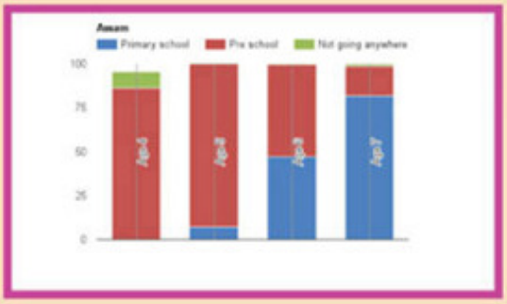

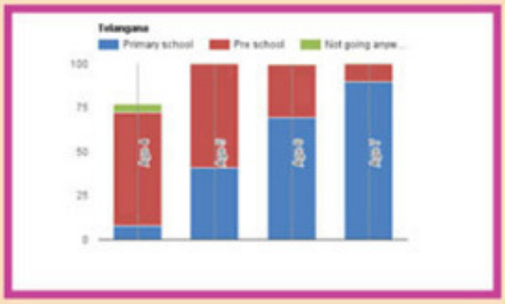

अभिभावकों की अवधारणाएं और बच्चों के लिए मौजूद कार्यक्रमों की गुणवत्ता

बच्चों की शिक्षा को लेकर अभिभावकों का झुकाव निजी विद्यालयों की तरफ अधिक होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल निजी विद्यालय ही सीखने का ऐसा वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं जो उनके बच्चों के लिए उचित है. सरकारी विद्यालयों के साथ जुड़ी नकारात्मक अवधारणा भी निजी विद्यालयों के फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है. अभिभावक यह भी सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, हालाँकि निजी विद्यालयों की तुलना में सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अधिक योग्य/निपुण होते हैं और उन्हें अधिक वेतन मिलता है. इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) आने के साथ ही अभिभावकों की यह धारणा और दृढ़ हुई है कि शाला में समुचित उपस्थिती और बच्चों के आकलन के तरीकों को सुनिश्चित किये बगैर, तथा दंड देने पर प्रतिबन्ध के कारण सरकारी विद्यालय समुचित ढंग से काम नहीं कर सकते हैं. यह देखा जा सकता है कि 5 वर्षों के दौरान निजी स्कूलों की संख्या और उनमें जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी है.

राजस्थान में निजी विद्यालय काफी अव्यवस्थित हैं और ये खाली पड़ी हवेलियों से लेकर बिना उचित हवा-प्रकाश के व्यवस्था वाले किराये के मकानों तक में संचालित हो रहे हैं. अगर भौतिक संसाधनों के आधार पर देखा जाए तो इन निजी विद्यालयों में न तो उचित कक्षा-कक्ष हैं, न पीने के पानी और शौचालय की उचित व्यवस्था; साथ ही टूटी छत, उखड़ी हुए फर्श और छत पर बिना रेलिंग के बने कक्षा-कक्ष बच्चों के लिए बेहद असुरक्षित हैं. इसके साथ ही इन निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक अयोग्य और अप्रशिक्षित होते हैं, यह भी देखा गया कि प्राथमिक कक्षाओं को अप्रशिक्षित, आठवीं पास शिक्षक पढ़ा रहे हैं. शिक्षकों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाना चाहिए. अधिकांश मामलों में पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षाओं हेतु तय पाठ्यक्रम का नीचे की तरफ विस्तार था और रटने की विधि के साथ पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में काम में लिया जा रहा था.

गुणवत्ता के ऐसे कारक जो सीखने के स्तरों को बढ़ाते हैं

भौतिक संसाधन

- शौचालयों की उपलब्धता और उनका उपयोग में होना

शिक्षक

- लोकतान्त्रिक और संवाद पर भरोसा रखने वाला शिक्षक

- पीने के पानी की उपलब्धता
- स्कूल के चारों तरफ साफ़ और सुरक्षित परिस्थितियों का होना
- सुरक्षित शाला-भवन का होना

- शिक्षक/शिक्षिका द्वारा किसी नए पाठ/अवधारणा/गतिविधि को रोचक तरीके से पेश करना
- बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना और उनके प्रश्नों को प्रोत्साहित करना
- बच्चों में उच्च स्तर की विचार क्षमताओं को प्रोत्साहित करना

कक्षा –कक्ष की योजना

- शिक्षक/शिक्षिका द्वारा आयु/विकास के अनुरूप गतिविधियों को कराये जाने की सुनिश्चितता
- शिक्षक/शिक्षिका द्वारा दैनिक/साप्ताहिक योजना का पालन
- हर बच्चे के लिए योजना का निर्माण
- एकल और सामूहिक गतिविधियों के संचालन हेतु कक्षा-कक्ष की व्यवस्था और प्रबंधन

पाठ्यचर्या का संपादन

- रचनात्मक और विविधतापूर्ण चिंतन के लिए अवसर का होना
- बच्चों के लिए एकल और सामूहिक दोनों तरह की गतिविधियों में शामिल होने के अवसरों का होना
- शिक्षक/शिक्षिका बच्चों को स्वयं चुनकर खेलने का अवसर देते हैं और खेल के दौरान उनसे बातचीत करते हैं
- अंकों और गणितीय अवधारणाओं को सीखने के लिए गतिविधियों का होना

(पृष्ट-4)

क्या बच्चे स्कूल के लिए तैयार हैं?

बच्चों की शाला-पूर्व तैयारी को संज्ञानात्मक विकास, भाषायी और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक दक्षताओं के आधार पर परखने के लिए असम, राजस्थान और तेलंगाना के 5 साल तक के 13000 से भी अधिक बच्चों का आकलन इस शोध के दौरान किया गया. यह चिंता का विषय है कि कक्षा-1 में आने के बावजूद अधिकांश बच्चे कक्षा- 1 की पाठ्यचर्या के लिए जरुरी पूर्व प्राथमिक दक्षताओं को प्रदर्शित नहीं करते, जो यह बताता है कि वे अब तक स्कूल के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं. उनमें प्राथमिक शाला में सीखने के लिए आवश्यक भाषायी और फोनेमिक जानकारी का अभाव होता है. हालांकि, बच्चों का बेहतर मनोवैज्ञानिक-सामाजिक विकास उन्हें स्कूल के वातावरण में सामंजस्य बिठाने में मदद करता है.

पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी उनके स्कूल की तैयारी में सकारात्मक असर डालती है. यह असर अधिक प्रभावी होता है यदि पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम खेल आधारित, उम्र और विकास के उपयुक्त तथा सन्दर्भ के अनुकूल पाठ्यचर्या काम में ले रहे हों. डेटा यह भी बताता है कि कम आयु के बच्चों की तुलना में 4-5 साल की उम्र के बच्चों का गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अनुभवों से गुजरना उन्हें अधिक लाभ पहुंचाता है. आयु के उपयुक्त पाठ्यचर्या के विकास के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है.

बच्चों की स्कूल की तैयारी के स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों में घर का पूरा वातावरण, जिसमें छपी हुई सामग्री की उपलब्धता, सीखने के लिए बच्चों को मिलने वाला सहयोग, परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के साथ ही माता की शिक्षा का स्तर शामिल है. दीर्घकालीन शोध के दौरान 6-8 वर्ष तक के बच्चों का आकलन बताता है कि 7-8 वर्ष की आयु में भी बच्चों में उन दक्षताओं और कौशलों का विकास उस स्तर तक नहीं हो पाता है, जो शाला पूर्व तैयारी के तहत बच्चों में 5 वर्ष की आयु में अपेक्षित हैं. डेटा के विस्तृत विश्लेषण से यह पता चलता है कि शाला-पूर्व तैयारी का स्तर आगे सीखने के स्तरों को दिशा देने में बहुत अहम् भूमिका निभाता है. जिन बच्चों की 5 वर्ष की आयु में शाला-पूर्व तैयारी बेहतर थी, उन्होंने प्राथमिक कक्षाओं में 6-8 वर्ष के दौरान विभिन्न दक्षताओं में बेहतर प्रदर्शन किया. सालाना रिपोर्ट अक्सर यह बताती हैं कि विभिन्न राज्यों के प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के प्रदर्शन इस तरफ इशारा करते हैं कि बच्चों के सीखने में गंभीर कमी है. इस शोध के प्रमाणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इस स्थिति का एक मुख्य कारण संभवत: यह हो सकता है कि बच्चे स्कूलों में बिना शाला-पूर्व तैयारी के अर्थात आधारभूत दक्षताओं को अर्जित किये बगैर आते हैं. अत: विद्यालयों में बच्चों के सीखने के स्तरों को सुधारने में गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करना केन्द्रीय भूमिका निभा सकता है.

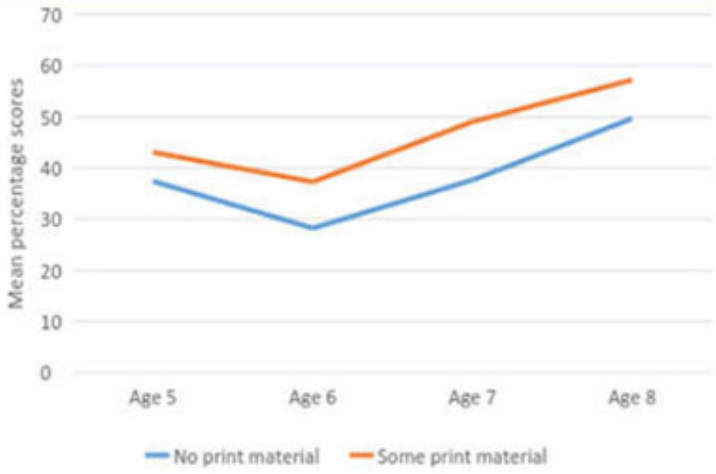

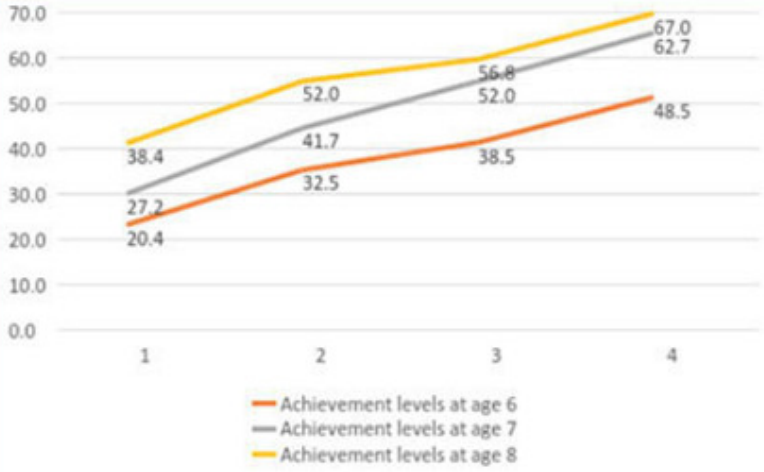

CONNECT WITH US :

CENTRE FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT

Ambedkar University Delhi

Room No. 307, Admin Block
Ambedkar University Delhi
Lothian Road, Kashmere Gate Campus,
Delhi-110006

Tel: +91-11-23863740, 23863743
Fax: +91-11-23863742
E-mail: ceced.aud@gmail.com